



2026:AHC-LKO:1359-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

विशेष अपील संख्या - 401 सन 2015

अमित शुक्ला एवं अन्य 5078 एम/एस 2011

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव माध्यमिक
शिक्षा लखनऊ एवं अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : जी.सी. वर्मा, कुंज बिहारी पांडेय

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अनुराग कुमार सिंह

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय

माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. हमने विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जी.सी. वर्मा को अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री के.बी. पांडे की सहायता से, एवं विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शरद पाठक को अपीलकर्ता की विद्वान अधिवक्ता श्री प्रिया सिंह की सहायता से, विद्वान स्थायी अधिवक्ता को तथा प्रतिवादी की ओर से श्री अनुराग सिंह, विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

2. पक्षों को सुनने के बाद अंततः यह निष्कर्ष निकलता है कि प्रबंधन समिति और शैक्षणिक संस्थान के कुछ शिक्षकों, जिनमें अपीलकर्ता भी शामिल थे, ने इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी। रिट याचिका लंबित रहने के दौरान, प्रबंधन समिति में परिवर्तन हुआ और उसकी ओर से रिट न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया गया कि वह रिट याचिका को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है, हालांकि, इसके बाद प्रबंधन की उसी समिति ने एक और रिट याचिका संख्या 16721/2021 दायर की, जिसमें वही राहत मांगी गई थी, अर्थात् संस्था को राज्य सरकार की अनुदान-सहायता सूची में शामिल करने के लिए, जिसका निस्तारण 06.08.2021 को राज्य सरकार को उक्त याचिकाकर्ता/प्रबंधन समिति के अभ्यावेदन पर विचार करने का निर्देश देकर किया गया था।

3. इसके अनुपालन में, राज्य सरकार ने दावे पर विचार किया और दिनांक 23.10.2024 के आदेश द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया। इस बीच, प्रबंधन समिति और शिक्षकों द्वारा दायर रिट याचिका पर आक्षेपित निर्णय पारित किया गया, जिसमें मुकदमेबाजी के अधिकार के अभाव के आधार पर याचिका खारिज कर दी गई। रिट याचिका को खारिज करने के लिए दिए गए कारणों के संबंध में, जहां तक विद्वान एकल न्यायाधीश की इस टिप्पणी का सवाल है कि राहत खंड संख्या 1 समय से पहले है, यह टिप्पणी अब प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि अब संबंधित पक्षों को लिखित रूप में निर्णय सूचित कर दिया गया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

4. जहां तक उक्त संस्था में कार्यरत शिक्षकों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों सहित अपीलकर्ताओं/याचिकाकर्ताओं के इस प्रकार की याचिका दायर करने के अधिकार के संबंध में अन्य टिप्पणियों का सवाल है, हमारा मत है कि अंततः, यदि संस्था को राज्य सरकार की अनुदान-सहायता सूची में शामिल किया जाता है, तो शिक्षक और कर्मचारी ही इसके लाभार्थी होंगे। श्री शरद पाठक, जो अन्य कर्मचारियों की ओर से उपस्थित हुए, जिन्होंने इस अपील से संबंधित रिट याचिका में पक्षकार बनने के लिए आवेदन दायर किया था, न्यायालय की इस टिप्पणी से सहमत हैं कि कर्मचारियों को याचिका दायर करने का अधिकार है और उनका कहना है कि रिट न्यायालय द्वारा उनके पक्षकार बनने के आवेदन को गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया गया है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. उपरोक्त के मददेनजर, हमारा मत है कि इस अपील का निस्तारण इस टिप्पणी के साथ किया जा सकता है कि अपीलकर्ता, शिक्षक और कर्मचारी, साथ ही श्री शरद पाठक के मुवक्किल, जो संबंधित संस्था के कर्मचारी भी हैं, और श्री अनुराग कुमार सिंह द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली प्रबंधन समिति, यदि चाहें तो, राज्य सरकार के निर्णय को उचित मंच या न्यायालय के समक्ष चुनौती दे सकते हैं। वास्तव में, हमने पाया है कि माननीय एकल न्यायाधीश ने भी किसी भी पीड़ित व्यक्ति को ऐसे निर्णय को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी है।

6. आक्षेपित निर्णय में इस स्पष्टीकरण/संशोधन के साथ, अपील को निस्तारित किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

जनवरी 8, 2026

अनुज सिंह

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।